



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 235 राँची, गुरुवार, 1 ज्येष्ठ, 1947 (श०)
22 मई, 2025 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

संकल्प
15 मई, 2025

विषय:- कुख्यात उग्रवादियों / नक्सल क्रियावादियों / कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि घोषित करने की नीति में संशोधन के संबंध में।

संख्या- 18/आ०सु० (5)-03/2014- 1902--राज्य सरकार के विभागीय संकल्प संख्या-4533, दिनांक-08.08.2018 द्वारा कुख्यात उग्रवादियों / नक्सल क्रियावादियों / कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि घोषित करने हेतु नीति निर्धारित है ।

2. उक्त नीति के अनुसार उग्रवादी संगठन के विभिन्न स्तर के उग्रवादियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि निम्नवत है:-

क्र०	संगठन में स्थान	पुरस्कार राशि (रूपये में)
1.	केन्द्रीय कमिटी सचिव/पोलित ब्यूरो सदस्य /केन्द्रीय कमिटी सदस्य (CCM)	1,00,00,000/-
2.	स्पेशल एरिया कमिटी सदस्य / रिजनल ब्यूरो सदस्य / CMC	25,00,000/-
3.	रिजनल कमिटी सदस्य	15,00,000/-
4.	जोनल कमिटी सदस्य	10,00,000/-
5.	सब जोनल कमिटी सदस्य	5,00,000/-
6.	कमांडर (एरिया कमिटी / दस्ता)	2,00,000/-
7.	एल०जी०एस०दस्ता सदस्य दलम / एल०ओ०एस०के०के०सी० सदस्य	1,00,000/-

विभिन्न स्तर के उग्रवादियों के अतिरिक्त अन्य फरार अभियुक्तों (अपराधियों) हेतु पुरस्कार की अधिकतम सीमा रू० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) है ।

3. उक्त नीति के अनुसार रू० 1,00,000/- (एक लाख रुपये) तक की पुरस्कार राशि पुलिस अधीक्षक, रू० 2,00,000/- (दो लाख रुपये) तक की पुरस्कार राशि पुलिस उप-महानिरीक्षक, रू० 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) तक की पुरस्कार राशि महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (DGP), रू० 10,00,000/- (दस लाख रुपये) तक की पुरस्कार राशि गृह मंत्री तथा रू० 10,00,000/- (दस लाख रुपये) से अधिक की पुरस्कार राशि की घोषणा मुख्यमंत्री के अनुमोदन से करने का प्रावधान है। इसके साथ ही उद्घोषित प्रवर्तमान (Unexpired) पुरस्कारों की अधिकतम संख्या-400 निर्धारित किया गया है ।

4. वर्तमान में राज्य में उग्रवादी गतिविधियों के साथ-साथ अपराधिक गतिविधियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु प्रोत्साहन स्वरूप कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध भी प्रभावी पुरस्कार राशि घोषित करने एवं पुरस्कार घोषित करने की शक्ति प्रत्यायोजित करने की आवश्यकता को देखते हुए कुख्यात उग्रवादियों / नक्सल क्रियावादियों / कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि घोषित करने हेतु निम्नवत नीति निर्धारित किया जाता है:-

A. निम्न प्रकार के उग्रवादियों / अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार की घोषणा किया जा सकेगा:-

1) उग्रवादी/अपराधी दण्ड प्रक्रिया संहिता (Crpc) की धारा-82 एवं 83 अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 84 एवं 85 के अन्तर्गत फरार घोषित किये गये हो ।

2) प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से संबद्ध उग्रवादी के मामले में क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेंट एक्ट 1908 की धारा-17 के अन्तर्गत कांड दर्ज हो ।

3) उग्रवादी से भिन्न अन्य अपराधी के मामले में वह निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक प्रकार के अपराधों में संलिप्त हो:-

- i. फिरौती के लिए अपहरण ।
- ii. सामूहिक या अन्य जघन्य हत्या ।
- iii. मार्ग लूट/डकैती या लूट / डकैती के साथ हत्या ।
- iv. ट्रेन लूट/डकैती या लूट / डकैती के साथ हत्या ।
- v. रंगदारी।
- vi. अवैध आग्नेयास्त्र का निर्माण या उसके व्यापार में संलिप्तता ।
- vii. साईबर अपराध ।
- viii. मानव तस्करी ।
- ix. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम से संबंधित अपराध।
- X. नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) अधिनियम से संबंधित अपराध।
- xi. किसी अन्य अत्यन्त सनसनीखेज कांड में संलिप्ता।

B. पुरस्कार राशि निर्धारण का आधार तथा पुरस्कार राशि:-

1) उग्रवादियों के मामले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन में उग्रवादियों के धारित पदानुरूप पुरस्कार घोषित किया जायेगा। प्रतिबंधित संगठन में धारित विभिन्न पद के आधार पर उग्रवादियों के गिरफ्तारी हेतु पुरस्कारी राशि निम्नवत होगी:-

क्र०	संगठन में स्थान	पुरस्कार राशि (रु० में)
1.	केन्द्रीय कमिटी सचिव/पोलित ब्यूरो सदस्य/केन्द्रीय कमिटी सदस्य (CCM)	1,00,00,000/-
2.	स्पेशल एरिया कमिटी सदस्य / रिजनल ब्यूरो सदस्य / CMC	25,00,000/-
3.	रिजनल कमिटी सदस्य	15,00,000/-
4.	जोनल कमिटी सदस्य	10,00,000/-
5.	सब जोनल कमिटी सदस्य	5,00,000/-
6.	कमांडर (एरिया कमिटी/दस्ता)	2,00,000/-
7.	एल०जी०एस०दस्ता सदस्य दलम/एल०ओ०एस० / के०के०सी० सदस्य	1,00,000/-

नोट- पुरस्कार घोषित करने से पूर्व / घोषित करने का प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व उग्रवादी की गिरफ्तारी से संगठन को पहुँचने वाला आघात तथा उग्रवादी की सक्रियता के संदर्भ में विशेष शाखा / केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो तथा स्थानीय पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अवश्य संतुष्ट हो लिया जायेगा ।

2) प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के उग्रवादियों को छोड़ अन्य अपराधियों के मामले में अपराधियों का वर्गीकरण, वर्गीकरण का आधार तथा पुरस्कार राशि की सीमा निम्नानुसार होगी:-

क्र०	अपराधकर्मी का वर्गीकरण	वर्गीकरण का आधार	पुरस्कार राशि की सीमा
01	Grade-A	1. दर्ज कांडों की न्यूनतम संख्या - 20 2. संगठित / असंगठित गिरोह (Organised/ Unorganised Criminal / terrorist Gang) 3. अपराध के प्रकार सामूहिक या अन्य जघन्य हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, डकैती या लूट/डकैती के साथ हत्या, लूट/डकैती या लूट/डकैती के साथ हत्या, रंगदारी, अवैध आग्नेयास्त्र का निर्माण या इसके व्यापार में संलिप्तता, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम से संबंधित अपराध, नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) अधिनियम से संबंधित अपराध, मार्ग लूट, साईबर अपराध, मानव तस्करी, किसी अन्य सनसनीखेज कांड में संलिप्तता। 4. कानून एवं व्यवस्था (Law & Order) / सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) पर अपराधी का प्रभाव (Impact) 5. वर्तमान- सक्रियता सक्रिय। 6. फिरारी रॉल- समर्पित । 7. पदसोपान- संचालनकर्ता/सरगना। 8. करेन्ट हाईड आउट- राज्य के बाहर/विदेश । 9. तकनीकी दक्षता- Social Media Platform/VPN/SIMBOX /VOIP Call / विभिन्न कॉलिंग एप / Virtual Number /Teligram Calling का प्रयोग कर आपराधिक गतिविधियाँ करना/कराना।	20 लाख से अधिक, 30 लाख रुपये तक
02	Grade-B	1. दर्ज कांडों की न्यूनतम संख्या 15 2. अपराध के प्रकार सामूहिक या अन्य जघन्य हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, डकैती या लूट/डकैती के साथ हत्या, लूट/डकैती या लूट/डकैती के साथ हत्या, रंगदारी, अवैध आग्नेयास्त्र का निर्माण या इसके व्यापार में संलिप्तता, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम से संबंधित अपराध, नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) अधिनियम से संबंधित अपराध, मार्ग लूट, साईबर अपराध, मानव तस्करी, किसी अन्य सनसनीखेज कांड में संलिप्तता। 3. वर्तमान सक्रियता- सक्रिय। 4. फिरारी रॉल- समर्पित । 5. पदसोपान- संचालनकर्ता / सरगना। 6. करेन्ट हाईड आउट -राज्य के बाहर / विदेश ।	10 लाख से अधिक, 20 लाख रुपये तक।

		7. तकनीकी दक्षता- Social Media Platform/VPN/SIMBOX /VOIP Call / विभिन्न कॉलिंग एप / Virtual Number /Teligram Calling का प्रयोग कर आपराधिक गतिविधियाँ करना/कराना।	
03	Grade-C	- दर्ज कांडों की न्यूनतम संख्या - 10 - अपराध के प्रकार- सामूहिक या अन्य जघन्य हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, डकैती या लूट/डकैती के साथ हत्या, लूट/डकैती या लूट / डकैती के साथ हत्या, रंगदारी, अवैध आग्नेयास्त्र का निर्माण या इसके व्यापार में संलिप्तता, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम से संबंधित अपराध, नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) अधिनियम से संबंधित अपराध, मार्ग लूट, साईबर अपराध, मानव तस्करी, किसी अन्य सनसनीखेज कांड में संलिप्तता। - वर्तमान सक्रियता - सक्रिय - फिरारी रॉल- समर्पित। - पदसोपान संचालनकर्ता / सरगना। - करेन्ट हाईड आउट -राज्य के अंदर / राज्य के बाहर। - तकनीकी दक्षता- विशेषज्ञ Social Media Platform/VPN /SIMBOX / VOIP Call / विभिन्न कॉलिंग एप / Virtual Number / Teligram Calling का प्रयोग कर आपराधिक गतिविधियाँ करना / कराना।	05 लाख से अधिक, 10 लाख रुपये तक ।
04	Grade-D	- दर्ज कांडों की न्यूनतम संख्या-05 - अपराध के प्रकार अपराध के प्रकार सामूहिक या अन्य जघन्य हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, डकैती या लूट/डकैती के साथ हत्या, लूट/डकैती या लूट/डकैती के साथ हत्या, रंगदारी, अवैध आग्नेयास्त्र का निर्माण या इसके व्यापार में संलिप्तता, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम से संबंधित अपराध, नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) अधिनियम से संबंधित अपराध, मार्ग लूट, साईबर अपराध, मानव तस्करी, किसी अन्य सनसनीखेज कांड में संलिप्तता। - वर्तमान सक्रियता - सक्रिय - फिरारी रॉल - समर्पित। - पदसोपान- संचालनकर्ता / सरगना। - करेन्ट हाईड आउट- राज्य के अंदर।	02 लाख से अधिक, 05 लाख रुपये तक।

05	Grade-E	1. दर्ज कांडों की न्यूनतम संख्या-03 2. अपराध के प्रकार- अपराध के प्रकार सामूहिक या अन्य जघन्य हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, डकैती या लूट/डकैती के साथ हत्या, लूट/डकैती या लूट/डकैती के साथ हत्या, रंगदारी, अवैध आग्नेयास्त्र का निर्माण या इसके व्यापार में संलिप्तता, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम से संबंधित अपराध, नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) अधिनियम से संबंधित अपराध, मार्ग लूट, साईबर अपराध, मानव तस्करी, किसी अन्य सनसनीखेज कांड में संलिप्तता। 3. वर्तमान सक्रियता - सक्रिय 4. फिरारी रॉल - समर्पित। 5. पदसोपान - संचालनकर्ता / सरगना। 6. करेन्ट हाईड आउट- राज्य के अंदर।	02 लाख रुपये तक।
----	----------------	---	------------------

3) प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के उग्रवादियों को छोड़ अन्य अपराधियों के मामले में उपरोक्त उल्लेखित पुरस्कार राशि की सीमा में पुरस्कार राशि का निर्धारण निम्न आधार पर किया जायेगा-

i. अपराधियों के फरार रहने से लोक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव तथा वर्गीकरण के आधार में उल्लेखित विभिन्न पहलुओं जैसे दर्ज कांडों की संख्या व अपराध का प्रकार/फरार रहने का अवधि / सक्रियता / संचालनकर्ता/सरगना / तकनीकी दक्षता/गिरफ्तारी से गिरावट को पहुँचने वाला आघात / Current Hideout आदि।

ii. प्रथम बार पुरस्कार राशि घोषित करने के 02 माह में गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में संबंधित पुरस्कार राशि में वृद्धि किया जा सकेगा, परन्तु वृद्धि संबंधित Category में उल्लेखित अधिकतम राशि के अन्तर्गत ही होगा।

iii. निम्न स्थिति में प्रथम बार में ही संबंधित Category में उल्लेखित अधिकतम पुरस्कार राशि घोषित किया जा सकता है-

a) वर्गीकरण के आधार में उल्लेखित एक या एक से अधिक प्रकार के अपराधों के लिए दर्ज कांड की संख्या संबंधित Category में उल्लेखित न्यूनतम संख्या से अधिक हो,

b) एक वर्ष से अधिक अवधि से फरार घोषित हो,

c) गिरावट का संचालनकर्ता / सरगना हो, तथा

d) गिरावट / अपराधी सक्रिय हो।

नोट- पुरस्कार घोषित करने से पूर्व / घोषित करने का प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व अपराधी की गिरफ्तारी से गिरावट को पहुँचने वाला आघात, अपराधी की तकनीकी दक्षता, Current Hideout तथा सक्रियता आदि के संदर्भ में विशेष शाखा/केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो तथा स्थानीय पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अवश्य संतुष्ट हो लिया जायेगा।

C. घोषित पुरस्कार की वैधता:- किसी उग्रवादी/अपराधी की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार की घोषणा दो वर्षों तक वैध होगी। दो वर्षों के बाद पुनः पुरस्कार की घोषणा की जा सकती है।

D. पात्रता:- कोई भी व्यक्ति जो फरार उग्रवादी/अपराधी को गिरफ्तार करेगा या फरार अभियुक्त के संबंध में सूचना देकर उसकी गिरफ्तारी में सहयोग प्रदान करेगा, पुरस्कार का हकदार होगा। फरार अपराधी / उग्रवादी की गिरफ्तारी में एक से अधिक व्यक्तियों की सहायता मिलने से पुरस्कार की राशि, पुरस्कार के हकदार व्यक्तियों के बीच उसी अनुपात में वितरित होगी जैसा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक निर्धारित करेंगे। अनुपात निर्धारित करने में विभिन्न व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना तथा गिरफ्तारी में किये गये सहयोग को ध्यान में रखा जायेगा।

E. अपराधी / उग्रवादी की सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कार राशि प्रदान करना तथा उसकी सुरक्षा :- किसी फरार इनामी उग्रवादी/अपराधी की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखना सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार उसे सुरक्षा प्रदान किया जायेगा।

F. पुरस्कार घोषित करने की शक्ति -

- i. रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये) तक के पुरस्कार की घोषणा संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।
- ii. ₹ 1,00,000/- (एक लाख) से अधिक, ₹ 5,00,000/- (पांच लाख) तक पुरस्कार की घोषणा संबंधित क्षेत्र के पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा किया जायेगा।
- iii. ₹ 5,00,000/- (पांच लाख) से अधिक, ₹ 10,00,000/- (दस लाख) तक पुरस्कार की घोषणा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जायेगा।
- iv. ₹ 10,00,000/- (दस लाख) से अधिक, ₹ 20,00,000/- (बीस लाख) तक पुरस्कार की घोषणा गृह मंत्री के अनुमोदन से किया जायेगा।
- v. ₹ 20,00,000/- (बीस लाख) से अधिक पुरस्कार राशि की घोषणा मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किया जायेगा।

G. बजट:- पुरस्कार राशि हेतु बजट शीर्ष " 2055 पुलिस-109- जिला पुलिस -97-प्रतिबंधित / कुख्यात अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी पर घोषित पुरस्कार-01-वेतन एवं भत्ते-06-पुरस्कार "

H. घोषित पुरस्कारों की अधिकतम संख्या-

- i. किसी भी समय राज्य में अधिकतम 400 फरार उग्रवादी / अपराधी की गिरफ्तारी हेतु ही पुरस्कार राशि की घोषणा लागू रह सकती है। इस 400 की सीमा के अनुपालन का दायित्व महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का होगा तथा वे समय-समय पर आवश्यकतानुसार पुरस्कार की घोषणा / घोषित पुरस्कार की समीक्षा करेंगे।
- ii. **Class Y** शहर से संबंधित जिला यथा- राँची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम तथा **LWE** प्रभावित जिला यथा- गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा तथा प० सिंहभूम जिला में से प्रत्येक

जिला में वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर से घोषित एक साथ अधिकतम 15 पुरस्कार लागू रह सकता है। शेष जिला में से प्रत्येक में वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर से घोषित एक साथ अधिकतम 10 पुरस्कार एक साथ लागू रह सकता है। इससे अधिक संख्या में पुरस्कार की घोषणा से पूर्व पुलिस मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5. फरार उग्रवादियों/ नक्सल क्रियावादियों/अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार घोषित करने संबंधी पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/अधिसूचना/नियमावली को विलोपित किया जाता है।
6. पूर्व के संकल्प/अधिसूचना/नियमावली के अनुरूप घोषित पुरस्कार अपनी वैधता की तिथि तक प्रभावी रहेंगे तथा कंडिका 4H में उल्लेखित पुरस्कारों की अधिकतम 400 की संख्या की गणना में इसे शामिल किया जायेगा।
7. फरार उग्रवादियों/ नक्सल क्रियावादियों / अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार घोषित करने की इस नीति के मामले में यथावश्यक समय-समय पर स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश निर्गत करने की शक्ति, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में संन्निहित रहेगी।
8. उक्त पर विभागीय संलेख ज्ञापांक 1510, दिनांक 09.04.2025 के क्रम में राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 08.05.2025 को संपन्न बैठक में मद संख्या 01 के रूप में स्वीकृति प्रदान किया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
